न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 330 / 19 वाद GCMS NO : 2019/00475
पूर्व प्रकरण संख्या : 287 / 12

1. दुर्गा शंकर पिता जगन्नाथ जी गरू, निवासी– मटुन, तह–गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.)
2. गणेशलाल पिता जगन्नाथ जी गरू, निवासी–मटुन, तह–गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.)

......वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.......प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अधिवक्ता वादी
श्री कल्पित जैन राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 24.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है राजस्व मौजा उमरडा तह– गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) की साबिक आराजी नं. 2144 में वादीगणों के पिता श्री जगन्नाथ जी गरू को जरिये मिसल संख्या 1084 / 68 में 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि रेग्युलाईज तहसीलदार गिर्वा द्वारा की गई जिसका आदेश वादीगणों के पिता के पक्ष में जारी किया गया। उक्त रेग्युलाईज आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 335 फैसल किया गया व साबिक आराजी नं. 2144 में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण वादीगणों के पिता के नाम पर खोला गया। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबन्दी में दाखला लगाया गया व सम्वत [illegible] 2030 तक उपरोक्त भूमि वादीगणों के पिता श्री जगन्नाथ जी गरू के नाम अंकित रही। तत्पश्चात् तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.05.30 17:53:15 IST
Reason: SelfAttested

गिर्वा में सेटलमेन्ट की कार्यवाही चली व सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती के कारण वादीगणों के पिता के खाते में अंकित वादग्रस्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया, जिसके नए नं. 5005 बनाए गए हैं। वादीगणों के पिता के जीवित रहते तक वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त था व उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगणों का उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को पूर्व जमाबन्दी के इन्द्राज को रिपिट करना चाहिए था उनको पूर्व इन्द्राज में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये साबिक आराजी नं. 2144 के खसरा मिलान के अनुसार वर्तमान आराजी नं. 5005 में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि का इन्द्राज दुरुस्ती कर वादीगणों के खाते में पुनः अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि वादीगणों का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीया ग्राम उमरड़ा, तह–गिर्वा की वर्तमान आराजी नं. 5006 रकबा 0.9500 हेक्टेयर भूमि से वादीगणों के कब्जेशुदा बीघा 15 बिस्वा भूमि का वादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाकर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि राजस्व रेकार्ड में जो अंकन है वह सही है एवम् साबिक आराजी संख्या 2144 वादीगण के नाम कभी भी राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं रहे। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में दावे, जवाबदावे के आधार पर दिनांक 01.07.2015 को निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया ग्राम उमरड़ तहसील गिर्वा की साबिक आराजी नम्बर 2144 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादीगणों के पिता जगन्नाथ गुरू के नाम पर जमाबन्दी संवत् 2070 से 2030 में बतौर खातेदार अंकित थी।

.....वादीगण

2. आया सेटलमेन्ट कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने दौराने सेटलमेन्ट उपरोक्त भूमि को वादीगणों के पिता के खाते से हटाकर वर्तमान आराजी नम्बर 5005 में मिलाकर बिलानाम सरकार दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था।

.....वादीगण

3. आया वर्तमान आराजी नम्बर 5005 साबिक आराजी नम्बर 2144 से बनने के कारण वादीगण उक्त भूमि में जो 1 बीघा 15 बिस्वा थी, को अपने खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है।

.....वादीगण

4. अनुतोष।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 17:53:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वादी अधिक्ता द्वारा साक्ष्य में PW1 दुर्गाशंकर पिता जगन्नाथ जी गरू एवं PW2 गणेश लाल पिता जगन्नाथ जी गरू का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में तहसीलदार गिर्वा द्वारा जारी आवंटन आदेश के पत्र की मूल प्रति प्रदर्श–1 जो साक्ष्य पश्चात् वापस लौटाई गई। आवंटन के आदेश की फोटोप्रति प्रदर्श–1ए है। नामान्तरण की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 राजस्व ग्राम कानपुर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी 2064 से 2067 की प्रदर्श–5, साबिक नक्शा प्रदर्श–6, हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–7 व लगान रसीदे प्रदर्श 8ए से 12ए है। प्रतिवादी राजकीय अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। ब्यान् कलम्बद्ध किए गए। मुख्य परीक्षण में PW1 दुर्गाशंकर पिता जगन्नाथ जी गरू द्वारा यह कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है। पूर्व में मेरे पिताजी के नाम थी। यह कहना गलत है कि आराजी संख्या 2144 शुरू से ही बिलनाम सरकार हो बल्कि यह नम्बर मेरे पिताजी के खाते दर्ज थे। उक्त जमीन पर मेरा कब्जा है। वादी द्वारा ओर कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य DW1 गोपाल पिता खेमराज डांगी उमरड़ा पटवारी को पेश किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य से जिरह पूर्ण की जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने वाद पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात साबिक आराजी नम्बर 2144 में वादीगणों के पिता श्री जगन्नाथ जी गरू को जरिये मिसल संख्या 1084/68 में 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि रेग्युलाईज तहसीलदार गिर्वा द्वारा की गई जिसका आदेश वादीगणों के पिता के पक्ष में जारी किया गया। रेग्युलाईज आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 335 फैसल किया जाकर साबिक आराजी नं. 2144 में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण वादीगणों के पिता के नाम पर खोला गया। नामान्तरकरण के आधार पर जमाबन्दी में दाखला लगा वादग्रस्त भूमि वादीगणों के पिता श्री जगन्नाथ जी गरू के नाम पर खाते में अंकित रही। किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान वादीगणों के पिता के खाते में अंकित वादग्रस्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर नए आरजी नम्बर 5005 बनाए गए हैं। जिससे वादी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। दौराने बहस प्रतिवादी राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया गया कि यह भूमि वर्तमान में उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होकर वादग्रस्त भूमि की किस्म मगरी है एवम् साबिक आराजी संख्या 2144/1 वादीगण के नाम कभी भी राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं रहे। रजिससे वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार नहीं होने से वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 17:53:15 IST
Reason: SelfAttested

उक्त पत्रावली में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. आया ग्राम उमरड़ तहसील गिर्वा की साबिक आराजी नम्बर 2144/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादीगणों के पिता जगन्नाथ गुरू के नाम पर जमाबन्दी संवत् 2070 से 2030 में बतौर खातेदार अंकित थी।

.....वादीगण

➢ तनकी सख्या 1 को साबित कराने का दायित्व वादी का है। वादी ने अपने तनकी के पक्ष में अतिरिक्त तहसीलदार उदयपुर द्वारा भूमि को रेगुलाईजेशन करने की राय एडवायजरी कमेटी द्वारा रिपोर्ट के आधार पर ग्राम उमरड़ा के आराजी नम्बर 2144 में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि जगन्नाथ पिता अम्बालाल को नियमन हुई, का नाजायज कब्जा होने से रेगुलाईजेशन किया गया जो प्रदर्श–1ए है।। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 335 द्वारा जगन्नाथ पिता अम्बालाल गरू के नाम दर्ज हुआ, जो प्रदर्श–2 है। हमने प्रदर्श–4 मिलान खसरा पत्र ग्राम कानपुर का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें पूर्व साबिक आराजी नम्बर 2144/1 के नये नम्बर का कही उल्लेख नहीं है। मिलान खसरा पत्रक में प्रार्थी द्वारा अपने दावे में क्लेम किए गये नये हाल नम्बर 5005 जिसका रकबा 0.9500 हैक्टयर है। प्रार्थी को तहसीलदार द्वारा नियमन की गई भूमि का रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा है। मिलान पत्र का अध्ययन करने पर नये हाल नम्बर 5005 पूर्व साबिक नम्बर 2144/1 से बने है यह सिद्ध नहीं होता है। वादी ने अपने दावे के पक्ष में क्रमानुक्रम गिरदावरी रिपोर्ट भी पेश नहीं की है। **वर्तमान में उक्त विवादित आराजियात जिस पर वादी ने खातेदार अधिकारों की घोषणा की है जिसमें ग्राम उमरड़ा पटवार मण्डल उमरड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक भोईयों की पंचोली के खाता संख्या 1599 जो पहले बिलानाम सरकार किस्म मगरी दर्ज थी जो बाद में नगर विकास प्रन्यास् को उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरित की गई। वर्तमान में यह भूमि उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवम् उक्त भूमि की किस्म अभी भी मगरी दर्ज है। वादी द्वारा अपने दावें में साक्ष्य सबूतों ग्वाहान् से यह सिद्ध नहीं कर पाया कि हाल आराजी नम्बर 5005 वादी के पूर्व साबिक नम्बर से बने है। अतः तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में तय नहीं होने के कारण वादी के विरूद्ध तय की जाती है।**

2. आया सेटलमेन्ट कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने दौराने सेटलमेन्ट उपरोक्त भूमि को वादीगणों के पिता के खाते से हटाकर वर्तमान आराजी नम्बर 5005 में मिलाकर बिलानाम सरकार दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था ?

.....वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 17:53:15 IST
Reason: SelfAttested

- तनकी सख्या 2 को साबित कराने का दायित्व वादीगणगण है। वादी द्वारा अपने वाद में कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात जमाबन्दी संवत् 2027–2030 तक वादीगण के पिता श्री जगन्नाथ गरू के नाम दर्ज थी, किन्तु भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा दौराने सेटलमेन्ट वादीगण के पिता के खाते में दर्ज भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर नये आराजी नम्बर 5005 अंकित किये गए। वादी द्वारा भू–प्रबन्ध के पूर्व नक्शे प्रदर्श–6 व हाल नक्शे प्रदर्श–7 पेश किया जिसके आधार पर वादी ने बताया कि साबिक नम्बर 2144/1 के नये नम्बर 5005 बने है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि दोनो नक्शों का अध्ययन करने पर यह सिद्ध नहीं होता है कि 2144/1 से 5005 नये नम्बर बने हो। हमने प्रदर्श–6 नक्शें का अध्ययन किया जिसमें 2144 मूल नम्बर से वादी को भूमि अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा नियमन किया गया जिसका वाद में नम्बर 2144/1 बना लेकिन पूर्व साबिक नक्शे में 2144/1 का कहीं भी तरमीम नहीं है। अतः वादी यह सिद्ध नहीं कर पाया कि आया सेटलमेन्ट कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने दौराने सेटलमेन्ट उपरोक्त भूमि को वादीगणों के पिता के खाते से हटाकर वर्तमान आराजी नम्बर 5005 में मिलाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर दी। अतः तनकी नम्बर 2 भी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया वर्तमान आराजी नम्बर 5005 साबिक आराजी नम्बर 2144 से बनने के कारण वादीगण उक्त भूमि में जो 1 बीघा 15 बिस्वा थी, को अपने खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है।

......वादीगण

- उक्त तनकी को साबित कराने का दयित्व प्रतिवादीगण को है। वादी ने अपने दावे के कथन में कहा 2144 से नये हाल नम्बर 5005 बने है। लेकिन वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश किए गए दस्तावेजो से यह कही सिद्ध नही हुआ कि वादी के आराजी नम्बर 2144/1 के नये आराजी नम्बर 5005 बने है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि 2144 एक बड़ा खसरा है जिसमें से वादी को अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि नियमन की गई एवम् वादी के नाम नामान्तरण दर्ज हुआ बाद में भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा उसको बिलानाम दर्ज कर दी गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों साबिक नम्बर, मिलान खसरा, हाल व साबिक नक्शा से यह सिद्ध नहीं कर पाया कि साबिक आराजी नम्बर 2144/1 से हाल नम्बर 5005 बने है। वर्तमान वर्तमान में यह भूमि उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवम् उक्त भूमि की किस्म अभी भी मगरी दर्ज है। अतः वादी तनकी नम्बर 1 व 2 यह सिद्ध नहीं कर पाए जिसके कारण तनकी नम्बर 3 भी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर किये गए उक्तविवेचन अनुसार न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा आराजी संख्या 2144/1 में से रकबा 1 बीघा 15 का अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा नियमन वादीगण के पिता जगन्नाथ गरू के पक्ष में कि[illegible] और दौराने सेटलमेन्ट भू–प्रबन्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 17:53:15 IST
Reason: SelfAttested

कर्मचारियों द्वारा उसको बिलानाम सरकार दर्ज कर हाल नम्बर 5005 रकबा 0.9500 हैक्टयर में से 1 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी अधिकारी की घोषणा चाहता है। गई। वर्तमान में यह भूमि उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवम् उक्त भूमि की किस्म अभी भी मगरी दर्ज है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में पेश किए गए दस्तावेजों साबिक व हाल नक्शे से भी यह सिद्ध नहीं होता है कि साबिक आराजी नम्बर 2144/1 से हाल आराजी नम्बर 5005 बने है। अतः वाद में उक्त तीनों तनकीयात वादी के विरूद्ध सिद्ध हुई। है। वादी अपने दावे को सिद्ध करने में पूर्णत असफल रहे है एवम् वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 17:53:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 302/19 सन 2019 अनवान (1) दुर्गा शंकर पिता जगन्नाथ जी गरू, निवासी– मटुन, तह–गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.) (2) गणेशलाल पिता जगन्नाथ जी गरू, निवासी–मटुन, तह–गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.) बनाम (1) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री नरपतसिंह चुण्डावत अधिवक्ता वादी एवं श्री कल्पित जैन राजकीय अधिक्ता प्रतिवादीगण की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। गया। पर्चा डिक्री जारी हो।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....24.....माह .....5.....सन् .....24..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 17:53:15 IST
Reason: SelfAttested